संख्या:-125/2026/।/1329554/2026/71-3002(002)/31/2024-03

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हृदय रोग संस्थान,
कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 14 मई 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में हृदय रोग संस्थानए कानपुर के कार्डियक सर्जरी विभाग में सीलिंग माउण्टेड वैस्कुलर कैथलैब विद टी0ई0ई0 इन्टीग्रेशन फार हाइब्रिड ओटी.1 नग एवं कार्डियक मेडिसिन विभाग में फ्लोर माउण्टेड फ्लैट पैनल डिटेक्टर कैथलैब-2 नग की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य हेतु शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-हरोस/2026-27/366, दिनांक 16.04.3026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करेंए जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में हृदय रोग संस्थानए कानपुर के कार्डियो सर्जरी विभाग में सीलिंग माउण्टेड वैस्कुलर कैथलैब विद टी0ई0ई0 इन्टीग्रेशन फार हाईब्रिड ओटी-1 नग एवं कार्डियक मेडिसिन विभाग में फ्लो माउण्टेड पैनल डिटेक्टर कैथलैब-2 नग की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य हेतु शेष धनराशि रू0 2392.17 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-144/2024/।/837331/2024/71-3002(002)/31/2024-03, दिनांक 31.12.2024 द्वारा हृदय रोग संस्थानए कानपुर के कार्डियक सर्जरी विभाग में सीलिंग माउण्टेड वैस्कुलर कैथलैब विद टी0ई0ई0 इन्टीग्रेशन फार हाइब्रिड ओटी-1 नग एवं कार्डियक मेडिसिन विभाग में फ्लोर माउण्टेड फ्लैट पैनल डिटेक्टर कैथलैब-2 नग की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रु0 3680.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि एवं शासनादेश संख्या/119/2025/।/1134997/2025/71-3002(002)/31/2024-03, दि0 07.11.2025 द्वारा रु0 1188.091 लाख अर्थात कुल रु0 1288.091 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थानए कानपुर के कार्डियो सर्जरी विभाग में सीलिंग माउण्टेड वैस्कुलर कैथलैब विद टी0ई0ई0 इन्टीग्रेशन फार हाईब्रिड ओटी-1 नग एवं कार्डियक मेडिसिन विभाग में फ्लो माउण्टेड पैनल डिटेक्टर कैथलैब-2 नग की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूँजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इंस्टीट्यूट हेतु मानक

मद.24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रु० 3000.00 में से द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 1288.091 लाख निम्नलिखित वित्तीय नियमों, शर्तो एवं प्रतिबंधों के साथ अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1.वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा.निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. वित्तीय नियमों व प्रतिबंधों के अधीन ही प्रश्नगत राशि का व्यय किया जायेगा।

3. कार्य की गुणवत्ताए मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय.सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/निदेशक/कार्यदायी संस्था की होगी।

4. निदेशक, हृदय रोग संस्थान उक्त प्रस्ताव को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-26 की कार्ययोजना मे भी स्वीकृत करायेंगे।

5. महानिदेशक/निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजनाध्स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगाए जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

7- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण.पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8- शासनादेश संख्या-144/2024/।/837331/2024/71-3002(002)//31/2024-03, दिनांक 31.12.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,88,09,100 (रुपये बारह करोड़ अट्ठासी लाख नौ हजार एक सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054400 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीटयूट मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारीए कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।